संoसंo–1 / विधि–03 / 2020(निo)................... / श्रoसंo

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार,
उप सचिव–सह–विधि प्रभारी

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक...........

विषयः– **विभाग में न्यायिक वादों से संबंधित तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग में विभिन्न न्यायिक वादों में कारण पृच्छा / प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु अधिवक्ताओं का पैनल गठित किये जाने हेतु सभी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन प्रारूप सीoडीo सहित आवश्यक क्रियार्थ संलग्न की जा रही हैं।

अनुरोध है कि इस विज्ञापन को सभी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

हo / –
(सत्येन्द्र कुमार)
उप सचिव–सह–विधि प्रभारी

ज्ञापांकः– संoसंo–1 / विधि–03 / 2020(निo)......1331...... / श्रoसंo पटना,दिनांकः–25/4/25

प्रतिलिपिः– श्री घनश्याम रविदास, श्रम अधीक्षक (निर्माण श्रमिक)–सह– विभागीय नोडल पदाधिकारी, e-advertisement Portal, श्रीमती स्वाति, सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं आईoटीo प्रबंधक (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.नोडल पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को उचित माध्यम से प्रेषित करने हेतु आईoटीo प्रबंधक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निदेशित करने की कृपा की जाय।

24.04.25
उप सचिव–सह–विधि प्रभारी

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना में विभिन्न न्यायिक वादों में प्रतिशपथ पत्र/कारण–पृच्छा दायर करने के लिये तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं का पैनल गठित किया जाना है। एतदर्थ, वैसे अधिवक्ता जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस का न्यूनतम 07 वर्षो का अनुभव प्राप्त हो, से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

चयनित अधिवक्ताओं को उनके द्वारा तैयार की गयी तथ्य विवरणी के अनुमोदित होने के पश्चात् प्रति तथ्य विवरणी पारिश्रमिक का भुगतान वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3882 दिनांक–03.05.2023 के आलोक में प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु रु 2000/– (दो हजार रूपये) मात्र तथा तथ्य विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में टंकण हेतु रु 500/– (पाँच सौ रूपये) मात्र देय होगा।

पैनल के लिए चयनित अधिवक्ताओं का नाम पैनल में बरकरार रखने अथवा उन्हें पैनल से हटाये जाने का अधिकार पूर्ण रूपेण विभागीय स्क्रीनिंग समिति के पास सुरक्षित रहेगा। विभाग में उनकी आवश्यकता अथवा उनके द्वारा निष्पादित कार्यो की गुणवता के अनुरूप पैनल में संशोधन किया जा सकता हैं।

आवेदन पत्र सभी वांछित कागजातों के साथ दिनांक–20.05.2025 के संध्या– 5:00 बजे तक Speed Post/Registered Post के माध्यम से श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना में प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कोई भी आवेदन पत्र हाथों–हाथ स्वीकार नही किया जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा।

24.04.25
(सत्येन्द्र कुमार)
उप सचिव–सह–विधि प्रभारी

आवेदन पत्र का प्रपत्र

(1) आवेदक का नाम :–
(2) पिता/पति का नाम :–
(3) पत्राचार का पता :–
(4) जन्म तिथि :–
(5) शैक्षणिक योग्यता :–
(6) माननीय उच्च न्यायालय में निबंधन संख्या/वर्ष :–
(7) अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव :–
(8) कोई अपराधिक मुकदमा में दंडित नही होने का घोषणा पत्र :–
(9) आवेदक का हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं0 :–
(10) दिनांक :–
(11) स्थान :–

आवेदक का हस्ताक्षर